प्रेषक,

टी0 के0 पन्त
उप सचिव
उत्तरांचल शासन ।

संख्या 50 /लोनि–1/04–04(प्रा0आ0)/04

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,–स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनाक 6 फरवरी,,2004

विषयः जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत घनसाली–घूत्तू मोटर मार्ग के पुर्ननिर्माण/सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति (किमी0 10 से 31.300 तक )

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –61/24(27) याता0–(टीसी) –उत्तरांचल/2003 दिनांक 14 जनवरी 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत कार्य के शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 312.00 लाख (रू0 तीन करोड बारह लाख मात्र)के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई इतनी ही लागत कें आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र ) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. उपरोक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि यदि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो गया हो ,तो शासन द्वारा स्वीकृत की जा रही यह धनराशि आहरित नही की जायेगी ,तथा कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो जाने की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

2. प्रश्नगत कार्य इसी अनुमोदित लागत में पूर्ण करा लिया जायेगा । तथा इसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नही होगी ।

3 व्यय करते समय बजट मैनुअल ,वित्तीय हस्तपुस्तिका,,स्टोर पर्चेज रूल्स,टैण्डर विषयक नियम एव शासन के अन्य विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा । व्यय किसी अन्य कार्य पर न करके इसी अनुमोदित कार्य पर किया जायेगा ।

4 आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा

5 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर संक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6 कार्य करने से पूर्व यथावश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के उपरान्त स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें,
निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

7 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन कराना सुनिश्चित करें ।

8 कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय,कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

9 स्वीकृति धनराशि का उपयोग दिनाक 31–3–2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय भौतिकं प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । यदि उसका उपयोग उक्त अवधि में नही होता है तो इसका समस्त दायित्व एवं कार्य की गुणवत्ता का समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

10 उक्त व्यय चालू वित्तीय 2003–2004 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक –5054–सडको पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11 यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0सख्या– 2751 /04 दिनाक 5–2–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(टी0 के0 पन्त )
उप सचिव ।

संख्या 50 (1)लोनि–1/04 तददिनाक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार(लेखा प्रथम )उत्तराचंल इलाहाबाद/देहरादून ।
2 आयुक्त गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी ।
4 निजी सचिव,मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
5 ,अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
6 मुख्य अभियन्ता,स्तर–2 लोक निर्माण विभाग ,पौडी ।
7 जिलाधिकारी,टिहरी ।
8 कोषाधिकारी, ,टिहरी ।
9 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन ।
10 लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तराचंल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त )
उप सचिव ।